उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-23/2015/3290/92-2-15-43जॉच/2014

लखनऊ:: दिनांक:: 30 दिसम्बर,2015

कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक 04-06-2014 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा देवीपाटन मण्डल के अंतर्गत जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड-इकौना में वर्ष 2012-13 के लिये चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्राम - भरथापुर के निरीक्षण में पूर्व में निर्मित सी0सी0 रोड/के0सी0 डेन की गुणवत्ता अधोमानक पाये जाने के कारण प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2404/92-2014-43जॉच/2014, दिनांक 04-06-2014 द्वारा श्री वी0के0 दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 29-08-2014 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 29-08-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री वी0के0 दूबे के विरूद्व अधिरोपित 03 आरोपों में से मात्र एक आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाया गया, किन्तु शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप संख्या-1, 2 एवं 3 स्थापित पाये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(2) में विहित व्यवस्थानुसार जॉच अधिकारी की जॉच आख्या से भिन्न मत रखते हुये जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित आरोपों एवं शासन द्वारा स्थापित आरोपो के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 26-11-2014 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 27-11-2014 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों एवं शासन द्वारा स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गये अभ्यावेदन व संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती में डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्राम भरथापुर, विकास खण्ड-इकौना में कराये गये कार्य अधोमानक होने, अधोमानक कार्य का भुगतान किये जाने, पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न किये जाने तथा अपने पदीय अधिकारो का अतिक्रमण कर उच्चाधिकारियों के अधिकारों का हनन किये जाने का आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित पाया गया। अतएव उक्त अनियमितताओं के लिये अपचारी अधिकारी, श्री वी0के0 दूबे के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें अनन्तिम दण्ड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिये जाने का विनिश्चय करते हुये शासन के पत्र दिनांक 27-04-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी।

4- लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 21-11-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्व प्रस्तावित दण्ड पर आयोग ने अपनी सहमति निम्नवत प्रदान की गयी है :-

(1) उक्त अनियमितता के लिये उन्हें परिनिन्दित किया जाय।

(2) उनकी एक वेतनवृद्धि स्थायी प्रभाव से रोक दी जाय।

5- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-06-2014 द्वारा श्री वी0के0 दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- श्रावस्ती के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा निम्नवत दण्ड प्रदान करते हुये समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है :-

(क) श्री वी0के0 दूबे को वर्ष 2015-16 के लिये निम्नवत "परिनिन्दित" किया जाता है :-

" ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती में डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्राम भरथापुर, विकास खण्ड-इकौना में कराये गये कार्य अधोमानक होने, अधोमानक कार्य का भुगतान किये जाने, पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न किये जाने तथा अपने पदीय अधिकारो का अतिक्रमण कर उच्चाधिकारियों के अधिकारों का हनन किये जाने आदि अनियमितताओं के लिये अपचारी अधिकारी श्री वी0के0 दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती को परिनिन्दित किया जाता है।"

(ख) श्री वी0के0 दूबे की एक वेतनवृद्धि स्थायी प्रभाव से रोकी जाती है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 23/2015/3290(1)/92-2-2015 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री वी0के0 दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- लोक सेवा आयोगा, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-65/03/एडीसी/एस-12/2015-16 दिनांक 21-11-2015 के संदर्भ में।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in